भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पी सी-VI/ 76 **आर बी ई सं. 28/2009**

सं. पी सी-VI/2008/I/आरएसआरपी/1 **नई दिल्ली, दिनांक: 11.02.2009**

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: संशोधित वेतन ढांचे में वेतन का निर्धारण एवं वेतनवृद्धियां प्रदान करना - संबंधी स्पष्टीकरण।

रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की अधिसूचना के पश्चात्, इस मंत्रालय में कुछ रेलों/उत्पादन इकाइयों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिनमें संशोधित ढांचे में वेतन के निर्धारण के विभिन्न पहलुओं और संशोधित वेतन ढांचे के अंतर्गत वेतन निर्धारण और भविष्य में वेतनवृद्धियों को प्रदान करने के संबंध में भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। मामले की वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से जांच की गई है। संदेह के मुद्दे और उन पर स्पष्टीकरण नीचे दिए गए अनुसार है:-

क्र.सं.	संदेह का मुद्दा	स्पष्टीकरण
1.	भारतीय रेल स्थापना संहिता वॉल्यूम-II (छठा संस्करण 1987, दूसरा पुनर्मुद्रण 2005) के नियम 1313 (एफआर 22 (I) (क) (1)) के उपबंधों के अनुसार, पात्र कर्मचारियों (प्रतिनियुक्ति से बाह्य संवर्ग पद या तदर्थ आधार पर अथवा सीधी भर्ती आधार पर नियुक्त से इतर) द्वारा पदोन्नति के एक महीने के भीतर स्प्लिट विकल्प प्रस्तुत करना होता है। कुछ कर्मचारी, जिनकी 01.01.2006 से पहले और 01.01.2006 के बाद लेकिन छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 की अधिसूचना से पहले पदोन्नति हुई है, ने अपनी अगली वेतनवृद्धि जो उस समय लागू नियमों/वेतन ढांचे के अनुसार 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों में 01.01.2006 के बाद पड़ रही थी, की तारीख से पदोन्नति पर अपने वेतन के निर्धारण का विकल्प दिया था। 01.01.2006 से प्रभावी सितंबर 2008 में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अनेक कर्मचारियों द्वारा दिया गया विकल्प अब अलाभप्रद साबित हुआ है, क्या इन कर्मचारियों को	रेलवे बोर्ड के 16.10.2003 के पत्र सं. ई (पी एंड ए)II-2003/पीपी-1 में व्यवस्था है कि कोई रेल सेवक ऐसे अप्रत्याशित विकासों के आदेशों या नियमों के बदलाव की तारीख से एक महीने के भीतर भारतीय रेल स्थापना संहिता वॉल्यूम-II (छठा संस्करण 1987, दूसरा पुनर्मुद्रण 2005) के नियम 1313 (एफआर 22 (I) (क) (1)) के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु एक संशोधित विकल्प दे सकता है। ऐसे किसी भी मामले में, जो रेल सेवा (संशोधित वेतन) 2008 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप हुआ है, रेल सेवकों को **इन स्पष्टीकरणों के जारी होने की तारीख से एक महीने** के भीतर पदोन्नत पद में अपने वेतन के निर्धारण के लिए संशोधित विकल्प का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए।

---/--

	भारतीय रेल स्थापना संहिता, वॉल्यूम-II (छंठा संस्करण 1987, दूसरा पुनर्मुद्रण, 2005) के नियम 1313 (एफआर 22 (I) (क) (1)) के अंतर्गत अपने विकल्प संशोधित करने की अनुमति दी जा सकती है।	
2.	रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 के नियम 5 के अनुसार पदोन्नति, वेतनमानों के अपग्रेडेशन आदि के कारण 01.01.2006 और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच किसी उच्चतर वेतनमान में रखा गया कोई रेल सेवक ऐसी पदोन्नति (पदोन्नति ग्रेड में स्थापन के बाद), अपग्रेडेशन आदि की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में परिवर्तन करने का चुनाव कर सकता है। उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति या अपग्रेड किए गए कर्मचारियों के पास अगली वेतनवृद्धि की तारीख आदि से भारतीय रेल स्थापना संहिता वॉल्यूम-II (छठा संस्करण 1987, दूसरा पुनर्मुद्रण 2005) के नियम 1313/1317 [एफआर 22/एफआर 23] के उपबंधों के अनुसार अपना वेतन निर्धारित/पुनर्निर्धारित कराए जाने का विकल्प है। क्या रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 के नियम 5 के अंतर्गत आने वाले ऐसे कर्मचारी या तो पदोन्नति/अपग्रेडेशन की तारीख या वेतनवृद्धि की तारीख आदि (जो 1 जुलाई 2006, 2007, 2008 या 2009 आदि को पड़ती हो) से वेतन के निर्धारण के चुनाव के अपने विकल्प को भी अब संशोधित कर सकते हैं, क्योंकि नए ढांचे में वार्षिक वेतनवृद्धि समान रूप से 1 जुलाई को दी जानी है? क्या इस प्रकार का विकल्प तदर्थ पदोन्नतियों (जो बिना अंतराल के विनियमित की गई हों, अथवा नहीं) के मामलों में भी उपलब्ध है।	रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 5 के परन्तुक में उल्लेख है कि कोई रेल सेवक उस तारीख, जिस पर वह मौजूदा वेतनमान में अपनी अगली या उसके तत्पश्चात् वेतनवृद्धि अर्जित करता है अथवा जब तक वह अपना पद खाली करता है या उस वेतनमान में वेतन आहरित करना बंद करता है, तक मौजूदा वेतनमान में वेतन आहरित जारी रखने का चुनाव कर सकता है। उक्त नियम में और आगे यह व्यवस्था है कि उन मामलों में जहां कोई रेल सेवक पदोन्नति, वेतनमानों के अपग्रेडेशन आदि के कारण 01.01.2006 और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच किसी उच्चतर वेतनमान में रखा गया है, तो रेल सेवक ऐसी पदोन्नति, अपग्रेडेशन आदि की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में परिवर्तन करने का चुनाव कर सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामले रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 के नियम 5 के परन्तुक के अंतर्गत विनियमित किए जाएंगे। संशोधित वेतन ढांचे में परिवर्तन के बाद, बोर्ड के 25.09.2008 के समसंख्यक पत्र के तहत जारी स्पष्टीकरण 2 (01.01.2006 के बाद पदोन्नति पर वेतन के निर्धारण का तरीका) लागू होगा। 01.01.2006 और रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की अधिसूचना की तारीख के बीच प्रदान की गई तदर्थ पदोन्नतियों के मामले में, किसी रेल सेवक को नियम 5 के उपबंधों के अंतर्गत अपना वेतन निर्धारित कराए जाने का विकल्प है। बहरहाल, 25.09.2008 के समसंख्यक पत्र के तहत जारी किया गया स्पष्टीकरण 2 (01.01.2006 के बाद पदोन्नति पर वेतन के निर्धारण का तरीका) ऐसे मामलों में लागू **नहीं** होगा।

3.	रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 के नियम 13 (i) के अनुसार, एक ग्रेड वेतन से दूसरे में पदोन्नति के मामले में और उन मामलों में जिनमें वेतन बैंड का परिवर्तन शामिल है, मूल वेतन के 3% के बराबर एक वेतनवृद्धि की अनुमति दी जाए और इसके साथ पदोन्नति पद के उच्चतर ग्रेड वेतन की भी अनुमति दी जाए। एक ग्रेड से दूसरे में पदोन्नति पर बोर्ड के 25.09.2008 के समसंख्यक पत्र के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, एक रेल सेवक के पास भारतीय रेल स्थापना संहिता वॉल्यूम-II (छठा संस्करण 1987, दूसरा पुनर्मुद्रण 2005) के नियम 1313 (एफआर 22 (I) (क) (1)) के अंतर्गत एक विकल्प होता है कि वह उच्चतर पद में अपना वेतन या तो अपनी पदोन्नति की तारीख से या अपनी अगली वेतनवृद्धि की तारीख से निर्धारित कराए। भारतीय रेल स्थापना संहिता वॉल्यूम-II (छठा संस्करण 1987, दूसरा पुनर्मुद्रण 2005) के नियम 1313 (एफआर 22 (I) (क) (1)) के अनुसार उपर्युक्त नियम के अंतर्गत निर्धारण का लाभ केवल उन मामलों में ग्राह्य है जिनमें अधिक महत्व की ड्यूटियां और जिम्मेवारियां शामिल हैं। इसके अलावा, उपर्युक्त एफआर के अंतर्गत विकल्प प्रदान करना भी इस शर्त के अध्यधीन है कि नियुक्ति बाह्य संवर्ग प्रतिनियुक्ति /तदर्थ आधार पर या सीधी भर्ती आधार पर न हो। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या:- (क) भारतीय रेल स्थापना संहिता, वॉल्यूम-II (छठा संस्करण 1987, दूसरा पुनर्मुद्रण, 2005) का नियम 1313 [एफआर 22 (I) (क) (1)] सभी मौजूदा शर्तों के साथ अपने वर्तमान रूप में अभी भी बरकरार हैं; या (ख) यह छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन ढांचे के लागू होने पर आशोधित किया गया है, और यदि हां , तो (ग) उपर्युक्त एफआर में कितना आशोधन किया गया है।	मुद्दा सं. (क): भारतीय रेल स्थापना संहिता वॉल्यूम-II (छठा संस्करण 1987, दूसरा पुनर्मुद्रण 2005) का नियम 1313 [एफआर 22 (I) (क) (1)] अभी भी बरकरार हैं। मुद्दा सं. (ख) एवं (ग): बोर्ड के 25.09.2008 के समसंख्यक पत्र के स्पष्टीकरण सं. 2 में वेतन बैंडों और ग्रेड वेतन की प्रणाली को लागू करने के बाद भारतीय रेल स्थापना संहिता वॉल्यूम-II (छठा संस्करण 1987, दूसरा पुनर्मुद्रण 2005) के नियम 1313 (एफआर 22 (I) (क) (1)) के अंतर्गत वेतन के निर्धारण के तरीके का वर्णन किया गया है।
4.	राउंड-ऑफ करने संबंधी तरीका:	बोर्ड के 11.09.2008 एवं 12.09.2008 के समसंख्यक पत्रों के साथ संलग्न फिटमेंट सारणी में पहले ही राउंडिंग-

	अधिसूचना के नियम 9 के अनुसार, संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि की दर लागू वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन के जोड़ का 3% होगी, जिसे 10 के अगले गुणक में राउंड-ऑफ किया जाएगा। क्या 10 के अगले गुणक में राउंड-ऑफ रुपए के अनुसार किया जाए या 1 पैसे को भी 10 के अगले गुणक में राउंड-ऑफ किया जाए। उदाहरण के लिए यदि वेतनवृद्धि के आहरण के बाद वेतन 10510.10 आता है तो इसको 10520 या 10510 रुपए में राउंड-ऑफ किया जाए।	ऑफ की गयी है, इसको बिना किसी आशोधन के कार्यान्वित किया जाए। संशोधित वेतन ढांचे के अंतर्गत वेतनवृद्धियों के परिकलन के मामले में, पैसे को छोड़ दिया जाए लेकिन एक रुपए या उससे अधिक की राशि को 10 के अगले गुणक में राउंड-ऑफ किया जाए। उदाहरणार्थ यदि वेतनवृद्धि की राशि 1900.70 रुपए आती है, तो राशि को 1900 रुपए में राउंड-ऑफ किया जाएगा; यदि वेतनवृद्धि की राशि 1901 रुपए आती है तब इसे 1910 रुपए में राउंड-ऑफ किया जाएगा।
5.	स्थिर वेतनवृद्धि प्रदान करना: क्या कर्मचारी जिन्हें फरवरी 2005 या उसके बाद स्थिर वेतनवृद्धि प्रदान की गई है, को वेतन का निर्धारण करते समय 01.01.2006 से अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाए या नहीं? चूंकि वे मौजूदा वेतनमान के अधिकतम तक पहुंच चुके हैं।	सभी मामलों में, जहां जनवरी 01.2005 के बाद एक वेतनवृद्धि (सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि या स्थिर वेतनवृद्धि) प्रदान की गई है, संशोधित वेतन ढांचे में वेतन के निर्धारण के समय 01.01.2006 को किसी वेतनवृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(यू.के. तिवारी)
उप निदेशक, वेतन आयोग-VI

सं. पी सी-VI/2008/I/आरएसआरपी/1 **नई दिल्ली, दिनांक: 11.02.2009**

प्रतिलिपि: भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को प्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

S. No. PC-VI/76 **RBE No. 28 /2009**

No.PC-VI/2008/I/RSRP/1 **New Delhi, dated 11 .02.2009**

The GMs/ CAO (R)
All Indian Railways & Production Units
(As per mailing list)

Sub: Fixation of pay and grant of increments in the revised pay structure-clarifications regarding.

Following the notification of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, this Ministry has received references from some Railways/ Production Units seeking clarification regarding various aspects of fixation of pay in the revised pay structure as also pay fixation and grant of increments in future under the revised pay structure. The matter has been examined in consultation with Ministry of Finance, Department of Expenditure. The points of doubt and the clarifications thereto are as under:

S. No.	Points of Doubt	Clarifications
1.	As per the provisions of Rule 1313 [FR 22 (I) (a) (1)] of Indian Railway Establishment Code, Vol. II, (Sixth Edition 1987, 2nd Reprint, 2005) split option has to be submitted by the eligible employee (other than those appointed on deputation to ex-cadre post or ad hoc basis or on direct recruitment basis) within one month of promotion. Some of the employees, promoted before 01.01.2006 as well as after 01.01.2006 but before notification of Railway Service (Revised Pay) Rules, 2008, implementing 6th CPC recommendations, had opted for their pay fixation on promotion from the date of their next increment which was falling after 01.01.2006 in the 5th CPC scales as per the rules/pay structure then in force. Consequent upon implementation of recommendation of 6th CPC in September 2008 effective	Railway Board's letter No. E (P & A) II-2003/PP-I dated 16-10-2003 provides that a Railway Servant may give a revised option for fixation under Rule 1313 [FR 22 (I) (a) (1)] of Indian Railway Establishment Code, Vol. II, (Sixth Edition 1987, 2nd Reprint, 2005) within one month from the date of orders of such unforeseen developments or change of rules. In any such cases, that have resulted from the notification of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, Railway Servants may be allowed to exercise a revised option for fixation of their pay in the promotion post within **one month from the date of issue of these clarifications.**

.../-

	from 01.01.2006, the option submitted by a number of employees has now turned to be disadvantageous. Whether such employees may be allowed to revise their options under Rule 1313 [FR 22 (I) (a) (1)] of Indian Railway Establishment Code, Vol. II, (Sixth Edition 1987, 2nd Reprint, 2005).	
2.	As per Rule 5 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, a Railway Servant placed in a higher pay scale between 01.01.2006 and the date of notification of these rules on account of promotion, upgradation of pay scales etc. can elect to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion (i.e. after placement in the promotional grade), upgradation etc. The employees promoted or upgraded to higher grade have option to have their pay fixed/re-fixed as per the provisions of Rule 1313 /1317 [FR 22 /FR 23] of Indian Railway Establishment Code, Vol. II, (Sixth Edition 1987, 2nd Reprint, 2005) from the date of next increment etc.	Proviso to Rule 5 of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 states that a Railway Servant may elect to continue to draw pay in the existing scale **until the date on which he earns his next or any subsequent increment in the existing scale, or until he vacates his post, or ceases to draw pay in that scale.** The Rule ibid further provides that in cases where a Railway Servant has been placed in a higher pay scale between 01.01.2006 and the date of notification of these Rules on account of promotion, upgradation of pay scale etc. the Railway Servant may elect to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion, upgradation, etc.
	Whether such employees covered by Rule 5 of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, can also revise their options now to choose either from the date of promotion/upgradation or the date of increment etc. (which may fall on the 1st July 2006, 2007, 2008 or 2009 etc.) as annual increment in the new structure is given uniformly on 1st July?	It is clarified that such cases will be regulated under proviso to Rule 5 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008. After switching over to the revised pay structure, Clarification 2 (the method of fixation of pay on promotion after 01.01.2006) issued vide Board's letter of even number dated 25.09.08 will apply.
	Whether such option will also be available in the cases of ad-hoc promotions (whether or not followed by regularization without break).	In the case of ad-hoc promotions granted between 01.01.2006 and date of notification of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, a Railway Servant has the option to have his pay fixed under proviso to Rule 5. However, Clarification 2 (the method of fixation of pay on promotion after 01.01.2006)

		issued vide Board's letter of even number dated 25.09.08 will **not** apply in such cases.
3.	As per Rule 13 (i) of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, in case of promotion from one grade pay to another and that involving change of pay band, one increment equal to 3% of basic may be allowed and in addition higher grade pay of the promotional post may also be allowed. As per clarification 2 of Board's letter of even number dated 25.09.08 on promotion from one grade to another, a Railway Servant has an option under Rule 1313 [FR 22 (I) (a) (1)] of Indian Railway Establishment Code, Vol. II, (Sixth Edition 1987, 2nd Reprint, 2005) to get his pay fixed in the higher post either from the date of his promotion, or from the date of his next increment. As per the provisions of Rule 1313 [FR 22 (I) (a) (1)] of Indian Railway Establishment Code, Vol. II, (Sixth Edition 1987, 2nd Reprint, 2005) the benefit of fixation under above rule is admissible only in cases of appointment involving duties and responsibilities of greater importance. Further, the grant of option under above FR is also subject to the condition that the appointment is not on deputation on ex-cadre basis/ad-hoc or direct recruitment basis. It is not clear whether: (a) Rule 1313 [FR 22 (I) (a) (1)] of Indian Railway Establishment Code, Vol. II, (Sixth Edition 1987, 2nd Reprint, 2005) still holds good in its present form with all the attendant conditions; or (b) The same has got modified on introduction of Sixth Central Pay Commission Pay structure, and if yes (c) What is the extent of modification to above FR.	Point No. (a): Rule 1313 [FR 22 (I) (a) (1)] of Indian Railway Establishment Code, Vol. II, (Sixth Edition 1987, 2nd Reprint, 2005) still holds good. Point No. (b) & (C) : Clarification No. 2 of Board's letter of even number dated 25.09.08 prescribes the method of fixation of pay under Rule 1313 [FR 22 (I) (a) (1)] of Indian Railway Establishment Code, Vol. II, (Sixth Edition 1987, 2nd Reprint, 2005) after introduction of the system of pay bands and grade pay.

...-/-